

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को ध्वस्त करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 70/10 / वाद सं० सी-1150 / एस-2 / 2023

दिनांक: 25-11, 2023

श्री अंशुल गुप्ता, श्री हर्ष गुप्ता
सी-22 टरन रोड, देहरादून ।

विपक्षी श्री अंशुल गुप्ता, श्री हर्ष गुप्ता सी-22 टरन रोड, देहरादून द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन एवं मंजूरी लिए बिना अनाधिकृत रूप से स्थल पर लगभग 02 बीघा भू-खण्ड में डिमाकेशन कर प्लानिंग का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत लेआउट उपलब्ध नहीं।

अनाधिकृत निर्माण के प्रत्यावेदन के आधार पर विपक्षी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत दिनांक 09.11.2023 को कारण बताओ नोटिस, एवं अधिनियम की धारा 28(1) के अधीन विकास निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी करते हुए वाद संख्या सी-1150/2023 योजित किया गया। विपक्षी से अपेक्षा की गई की दिनांक 22.11.2023 को प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। नियम तिथि पर विपक्षी उपस्थित नहीं हुए विपक्षी द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आप द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति के विपरीत विचलन कर निर्माण कार्य किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। अवैध प्लानिंग को ध्वस्त किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तकरण के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

—आदेश—

विपक्षी श्री अंशुल गुप्ता, श्री हर्ष गुप्ता सी-22 टरन रोड, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 02 बीघा भू-खण्ड में डिमाकेशन कर प्लानिंग का अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण में ध्वस्त आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 30-11-23 को ध्वस्त किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि ध्वस्त की तिथि से पूर्व उक्त स्थल को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर ध्वस्त की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में ध्वस्त की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

संयुक्त सचिव 25/11/23

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

